



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**  
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/457

29/08/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

**विषय: अग्रिम प्राधिकरण धारकों, ईओयू और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के तहत आने वाले इनपुट के आयात के लिए निर्यात दायित्व अवधि में संशोधन के संबंध में।**

**संदर्भ: डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 28/2025-26 दिनांक 28.08.2025**

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी कार्यालय, नई दिल्ली ने अग्रिम प्राधिकरण धारकों, ईओयू और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के तहत आने वाले इनपुट के आयात के लिए निर्यात दायित्व अवधि में संशोधन के संबंध में उपर्युक्त अधिसूचना जारी की है।

संशोधन इस प्रकार है:

मौजूदा पैरा 2.03(ए) (i) (जी)	संशोधित पैरा 2.03(ए) (i) (जी)
ऐसे प्राधिकरणों के लिए निर्यात दायित्व अवधि प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 4.40 के अनुसार होगी। हालाँकि, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) द्वारा अधिसूचित रासायनिक उत्पादों के लिए क्यूसीओ छूट के संबंध में आयात खेपों की निकासी की तिथि से निर्यात दायित्व अवधि 180 दिनों तक सीमित है।	ऐसे प्राधिकरण के लिए निर्यात दायित्व अवधि प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 4.40 के अनुसार होगी

अधिक जानकारी के लिए कृपया संलग्न आधिकारिक डीजीएफटी अधिसूचना देखें।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद